

बिहार सरकार  
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक नवम्बर, 2013

अधिसंख्या—1 / एलोटी०सी०—५०—१५ / २०१३ गृहाम्  
भाषुपुस्तक (१९७९), महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएं, बिहार पटना को ब्लॉक वर्ष २०१०—१३ के अन्तर्गत कावारती (लक्षद्वीप) भ्रमण करने हेतु सप्ताहीक अवकाश यात्रा रियायत (एलोटी०सी०) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त यात्रा हेतु दिनांक १३.१२.२०१३, १६.१२.२०१३ से २०.१२.२०१३ तक कुल ०६ दिनों का आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक १४.१२.२०१३ से १५.१२.२०१३ एवं २१.१२.२०१३ से २२.१२.२०१३ तक कुल ०४ (चार) दिनों का अनुज्ञा अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/-

(राजीव रंजन सिन्हा)  
सरकार के अपर सचिव।

अधिसंख्या—१ / एलोटी०सी०—५०—१५ / २०१३ गृहाम् / पटना, दिनांक नवम्बर, २०१३

प्रतिलिपि:—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना—७ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

अधिसंख्या—१ / एलोटी०सी०—५०—१५ / २०१३ गृहाम् / पटना, दिनांक नवम्बर, २०१३

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

अधिसंख्या—१ / एलोटी०सी०—५०—१५ / २०१३ गृहाम् ४४०/- / पटना, दिनांक २८ नवम्बर, २०१३

प्रतिलिपि:—अवर सचिव, (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री अमरीक सिंह निम्बरान, भाषुपुस्तक (१९७९), महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएं, बिहार पटना/आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव।